न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1024 / दावा / 2019
दायरा 23.12.2019

उनवान

द्वारकालाल पुत्र उदालाल जाति माली निवासी खानपुर तह0 खानपुर
– वादी

बनाम

1. सोनिया पत्नि जितेन्द्र जाति माली निवासी तुलसा कोटडी तहसील बांरा।
2. महेशकुमार पुत्र द्वारकालाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
3. भूलीबाई पुत्री द्वारकालाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
4. शीलाबाई पुत्री द्वारकालाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
5. श्रवणीबाई पत्नि बिरधीलाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
6. रामस्वरूप पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
7. सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः– श्री ओमप्रकाश धनोलिया एडवोकेट – वादी
श्री अनिल मेहता एडवोकेट – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 03 / 01 / 2020

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने जर्ये अधिवक्ता एक वाद धारा 88,,91,209 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2075–78 की खतोनी सं0 925 की ख0न0 228 की रकबा 2.3067 हे0 ख.न. 229 रकबा 0.2347 है0 कुल 2 किता की 2.5414 है0 आराजी महेशकुमार, रामस्वरूप, सत्यनारायण व सुरेशकुमार के कब्जे एंव काशत की है। एंव ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2075–78 की खतोनी सं0 905 की ख0न0 121 / 2971 की रकबा 0.6880 है0 ख.न. 1315 / 2972 रकबा 0.2104 है0 ख.न. 1317 / 2973 रकबा 0.0809 है0 कुल 3 किता की 0.9793 है0 आराजी महेशकुमार, भूलीबाई, शीलाबाई, सुरेशकुमार व श्रवणीबाई के कब्जे एंव काशत की है। इसी प्रकार ग्राम जोलपा की जमाबंदी सं0 2076–79 की खतोनी सं0 362 की ख0न0 617 / 1375 की रकबा 0.1619 हे0 ख.न. 75 / 1314 रकबा 1.3274 है0 कुल 2 किता की 1.4893 है0 आराजी महेशकुमार, व सुरेशकुमार के कब्जे एंव काशत की है। एंव ग्राम जोलपा की जमाबंदी सं0 2076–79 की खतोनी सं0 152 की ख0न0 62 की रकबा 6.0865 है0 आराजी महेशकुमार, व सुरेशकुमार के कब्जे एंव काश्त की है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

यह कि सुरेशकुमार पुत्र द्वारकालाल जाति माली निवासी खानपुर की मृत्यु दिनांक 06.12.2015 को हो चुकी है। जैसे ही सुरेश कुमार की मृत्यु हुई सोनिया अपने पति की जायदाद में अपना हिस्सा, हित व अधिकार तर्क करके श्री जितेन्द्र पुत्र गिर्राज जाति माली तुलसा कोटडी तह0 बांरा से नाता विवाह कर लिया तथा अपने परिवार व समाज के सामने अपने मृतक पति सुरेश कुमार आराजी में उसके हिस्से को भी उसने तर्क कर दिया तथा सोनिया अभी अपने नाते वाले पति जितेन्द्र के साथ ग्राम तुलसा कोटडी में रह रही है। उसका ग्राम खानपुर में आना जाना नही है। अभी खातेदारो में मृतक सुरेशकुमार का नाम दर्ज है। मृतक सुरेशकुमार के खाते की आराजी में सोनिया का नाते चले जाने के कारण कानूनन कोई अधिकार नही है। वादपत्र के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजी में मृतक सुरेशकुमार का 1/4 हिस्सा है इसी प्रकार वाद की मद नं. 2 में वर्णित आराजी में मृतक सुरेशकुमार का 1/5 हिस्सा है। इसी प्रकार वाद की मद नं. 3 में वर्णित आराजी में मृतक सुरेशकुमार का 1/2 हिस्सा है। तथा पेरा नं. 4 की वर्णित आराजी में मृतक सुरेशकुमार का 3/16 हिस्सा है। मृतक सुरेशकुमार वादी द्वारकालाल का पुत्र तथा प्रतिवादी महेशकुमार,भूलीबाई व शीलाबाई का भाई है। सुरेशकुमार की पत्नि प्रतिवादी नं. 1 सोनिया है । सुरेशकुमार व उसकी पत्नि सोनिया के जीवनकाल में कोई औलाद पेदा नही हुई। सुरेशकुमार लाओलाद फोत हो गया। मृतक सुरेशकुमार की समस्त चल/अचल सम्पत्ति के अब केवल वादी व प्रतिवादी 2,3,4 ही वारिस व काबिज है। वाद कारण दिनांक 5.12.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने तहसीलदार सा0 से वाद की मद नं. 1,2,3,4 में वर्णित आराजी में मृतक सुरेशकुमार के हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे तो उन्होने सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह दी। अतः वाद पेश कर निवेदन किया कि वाद की मद नं. 1,2,3,4 में वर्णित आराजी में से मृतक सुरेशकुमार का नाम हटाया जावे तथा उसके स्थान पर वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावें। इस प्रकार खाते में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। और अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादी एंव प्रति0 नं0 1 लगा 7 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया। " राजीनामे के अनुसार ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 925 की ख0न0 228 की रकबा 2.3067 है0 ख.न. 229 रकबा 0.2347 है0 कुल 2 किता की 2.5414 है0 व ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 905 की ख0न0 121/2971 की रकबा 0.6880 है0 ख.न. 1315/2972 रकबा 0.2104 है0 ख.न. 1317/2973 रकबा 0.0809 है0 कुल 3 किता की 0.9793 है0 एंव इसी प्रकार ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 362 की ख0न0 617/1375 की रकबा 0.1619 है0 ख.न. 75/1314 रकबा 1.3274 है0 कुल 2 किता की 1.4893 है0 आराजी एंव ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 152 की ख0न0 62 की रकबा 6.0865 है0 आराजी स्थित है। इसमें सुरेशकुमार का हिस्सा है। सुरेशकुमार की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी नं. 1 सोनिया जो सुरेशकुमार की पत्नि थी मृत्यु के बाद पुर्न विवाह कर लिया है तथा सुरेशकुमार के हिस्से को नही लेना चाहती हूँ तथा सुरेशकुमार के हिस्से की आराजी वादी के खाते दर्ज कर दी जावे। हम प्रतिवादी महेशकुमार, भूलीबाई, शीलाबाई सुरेशकुमार की भाई व बहिन है। सुरेशकुमार के हिस्सा से आराजी वादी जो हमारा पिता है जिसके खाते दर्ज कर दी जावें हमे कोई ऐतराज नही है। यह राजीनामा हमने बिना दाब दबाव व स्वतंत्र इच्छा से किया है जो सही व सत्य है। हम पक्षकार राजीनामें से सहमत है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। अतः राजीनामा पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जावे। " राजीनामा से सभी पक्षकारान सहमत होने से इसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 925 की ख0न0 228 की रकबा 2.3067 है0 ख.न. 229 रकबा 0.2347 है0 कुल 2 किता की 2.5414 है0 व ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 905 की ख0न0 121/2971 की रकबा 0.6880 है0 ख.न. 1315/2972 रकबा 0.2104 है0 ख.न. 1317/2973 रकबा 0.0809 है0 कुल 3 किता की 0.9793 है0 एंव इसी प्रकार ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 362 की ख0न0 617/1375 की रकबा 0.1619 है0 ख.न. 75/1314 रकबा 1.3274 है0 कुल 2 किता की 1.4893 है0 आराजी एंव ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 152 की ख0न0 62 की रकबा 6.0865 है0 आराजी स्थित इसमें सुरेशकुमार का हिस्सा है। सुरेशकुमार की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी नं. 1 सोनिया जो सुरेशकुमार की पत्नि थी मृत्यु के बाद पुर्न विवाह कर लिया है तथा सुरेशकुमार के हिस्से को नही लेना चाहती हूँ तथा सुरेशकुमार के हिस्से की आराजी वादी के खाते दर्ज कर दी जावे। हम प्रतिवादी महेशकुमार, भूलीबाई, शीलाबाई सुरेशकुमार की भाई व बहिन है। सुरेशकुमार के हिस्सा से आराजी वादी जो हमारा पिता है जिसके खाते दर्ज कर दी जावें हमे कोई आपप्ति नही है। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है। ऐसे में वाद का निर्णय राजीनामें के अनुसार किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हमने राजीनामा पेश किया है। ऐसे में वाद का निर्णय राजीनामा के अनुसार किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। ऐसे में हम इस वाद का निर्णय राजीनामा के अनुसार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है तथा राजीनामे के अनुसार ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 925 की ख0न0 228 की रकबा 2.3067 है0 ख.न. 229 रकबा 0.2347 है0 कुल 2 किता की 2.5414 है0 व ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 905 की ख0न0 121/2971 की रकबा 0.6880 है0 ख.न. 1315/2972 रकबा 0.2104 है0 ख.न. 1317/2973 रकबा 0.0809 है0 कुल 3 किता की 0.9793 है0 एंव इसी प्रकार ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 362 की ख0न0 617/1375 की रकबा 0.1619 है0 ख.न. 75/1314 रकबा 1.3274 है0 कुल 2 किता की 1.4893 है0 आराजी एंव ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 152 की ख0न0 62 की रकबा 6.0865 है0 आराजी स्थित है। इसमें सुरेशकुमार का हिस्सा है। सुरेशकुमार की मृत्यु हो चुकी है। अतः मृतक सुरेशकुमार के हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा मृतक सुरेशकुमार का नाम खाते से खारिज किया जावें। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 03/01/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

फाइनल डिक्री मुकद्दमात
(ओ. नं. 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड. (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी– श्री **प्रमोदकुमार सिंधव** आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1024 / दावा / 2019
दायरा 23.12.2019

उनवान

द्वारकालाल पुत्र उदालाल जाति माली निवासी खानपुर तह0 खानपुर
– वादी

बनाम

1. सोनिया पत्नि जितेन्द्र जाति माली निवासी तुलसा कोटडी तहसील बांरा।
2. महेशकुमार पुत्र द्वारकालाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
3. भूलीबाई पुत्री द्वारकालाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
4. शीलाबाई पुत्री द्वारकालाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
5. श्रवणीबाई पत्नि बिरधीलाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
6. रामस्वरूप पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
7. सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी खानपुर तहसील खानपुर।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,209 आर.टी.एक्ट 1955

आज यह मुकद्दमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **प्रमोदकुमार सिंधव** आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिन जानिब मुद्दई **श्री ओमप्रकाश धनोलिया** एडवोकेट वादी रूबरू **श्री अनिल मेहता** एडवोकेट प्रतिवादी जानिब मुद्दाालय पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :–

" वाद, वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा के अनुसार डिकी किया जाता है तथा राजीनामे के अनुसार ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 925 की ख0न0 228 की रकबा 2.3067 है0 ख.न. 229 रकबा 0.2347 है0 कुल 2 किता की 2.5414 है0 व ग्राम खानपुर की खतोनी सं0 905 की ख0न0 121 / 2971 की रकबा 0.6880 है0 ख.न. 1315 / 2972 रकबा 0.2104 है0 ख.न. 1317 / 2973 रकबा 0.0809 है0 कुल 3 किता की 0.9793 है0 एंव इसी प्रकार ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 362 की ख0न0 617 / 1375 की रकबा 0.1619 है0 ख.न. 75 / 1314 रकबा 1.3274 है0 कुल 2 किता की 1.4893 है0 आराजी एंव ग्राम जोलपा की खतोनी सं0 152 की ख0न0 62 की रकबा 6.0865 है0 आराजी स्थित है। इसमें सुरेशकुमार का हिस्सा है। सुरेशकुमार की मृत्यु हो चुकी है। अतः मृतक सुरेशकुमार के हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तथा मृतक सुरेशकुमार का नाम खाते से खारिज किया जावें। राजीनामा डिकी का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो।

यह डिकी आज दिनांक 03 / 01 / 2020 को हमारे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2020.02.10 12:12:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: